

जिला मजिस्ट्रेट
 टांका



गाहिर मिया का मकान, उत्तर में रास्ता तथा दक्षिण में कल्या खां व कन्हैया का मकान
 जिसका कुल क्षेत्रफल 129.77 वर्गगज है व जिसकी सीमाएं पूर्व में रास्ता गली, पश्चिम में
 716, बाकें ग्राम शौराग्रान मस्जिद के पास सुभाष बाजार टांका जिला टांका में स्थित है।
 बंधक सम्पत्ति, सी० रउक के स्वामित्व व अधिपत्य की एक सम्पत्ति/भूखण्ड पट्टा संख्या
 व अपाथी/अधियाँ, जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त ऋण की सुविधा के एवज में
 कुल 15,00,000/रुपये (अक्षर पन्द्रह लाख रुपये मात्र) का ऋण उपलब्ध कराया गया था
 कम्पनी से ऋण खाता संख्या RJ/TNK/NIW/A000000026 से दिनांक 25.08.2023 को
 बैंक/कम्पनी के बंधककर्ता ऋणी/सहऋणी/गारंटर है। अपाथीगण द्वारा प्रेषित बैंक/
 प्रेषित बैंक/कम्पनी से प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अपाथीगण,
 Securities Interest Act 2002 के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

Securisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
 प्रेषित बैंक/कम्पनी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 The
 दिनांक 03.02.2026

आदेश

असैट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002
 प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 सिक्युरिटीइंजेशन एण्ड रिकन्स्रुक्शन ऑफ फाइनेंशियल
 ऋणी/सहऋणी/जमानती

1. मोहम्मद हसन पुत्र मो. रउक निवासी पट्टा संख्या 716 शौराग्रान मस्जिद के पास
 सुभाष बाजार टांका जिला टांका राज.।
2. मोहम्मद रउक पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी पट्टा संख्या 716 शौराग्रान मस्जिद के
 पास सुभाष बाजार टांका जिला टांका राज.।
3. श्रीमति रहमत बानो पत्नी मोहम्मद रउक निवासी पट्टा संख्या 716 शौराग्रान
 मस्जिद के पास सुभाष बाजार टांका जिला टांका राज.।

बनाम


...प्राथी (प्रतिभूत लेनदार)

“हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड” जिसका कोर्पोरेट कार्यालय. 167-169, द्वितीय
 फ्लोर, अन्ना सलाई, सैडवापेट, बेंगलूर-600015 तमिलनाडु व शाखा कार्यालय-341, द्वितीय
 फ्लोर, कर्नाटका बैंक के उपर, शोपिंग सेंटर, गुमानपुरा कोटा राजस्थान-324007 में स्थित
 है।

19.01.2026
 06/2026

प्रकरण संख्या
 प्रविष्टि दिनांक

(पठारक्षीन अधिकारी कल्पना अभयवाल, आई.ए.एस.)
न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट टांका



(a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and
 (b) Forward such assets and documents to the secured creditor.

District Magistrate shall, on such request being made to him-
 thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the
 documents relating thereto may be situated of found- to take possession
 the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other
 such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or
 secured creditor may, for the purpose of taking possession of control of any
 transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the
 secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are
 (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the
 creditor in taking possession of secured asset-

14- Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured

स्पष्ट प्राधान है, जो इस प्रकार है।
 2002 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति को दिलाये जाने बाबत
 Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act
 को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and
 किया जाने व तामिल के पश्चात धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः न्याय
 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत न्यायिक न्यायालय राजस्थान की रिट याचिका संख्या
 6256/2016 पंजाब न्यायालय व अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर व अन्य, में पारित निर्णय
 न्यायिक दृष्टान्त, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की रिट याचिका संख्या
 करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थना द्वारा भुगतान नहीं किया गया।
 प्राप्ति बैंक / कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी
 प्रभावी एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि
 प्राधान पर प्रस्तुत किया गया है।
 सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति बैंक / कम्पनी को जारिये पुलिस इमदाद सम्भालने के लिये यह
 2002 की धारा 14 के तहत उपाय लेने में देय राशि क पुनर्भुगतान हेतु रहन बाबत
 Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act
 बैंक/कम्पनी को नहीं सम्भाला है। प्राप्ति बैंक / कम्पनी द्वारा The Securitisation and
 युक्त में बैंक की गई है। न्यायिक द्वारा बन्धक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्राप्ति
 को रजिस्टर्ड जक नोटिस जारी किये जाने के बावजूद न्यायिक द्वारा न्याय बाबत
 उक्त न्यायिक न्यायालय को प्राप्ति बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 30.10.2024
 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च बकाया निकलते है।
 14.89,088 / (अक्षर चौदह लाख नवरासी हजार अठारसी रुपये मात्र) दिनांक 01.10.2024
 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थना/न्यायिक के न्याय बाबत में बकाया राशि
 की धारा के नियमानुसार नहीं युक्त, जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 05.10.2024
 स्थित है। अप्रार्थना/न्यायिक के साथ किये गये न्याय बाबत में न्यायिक न्यायालय द्वारा न्याय बाबत में बकाया राशि

[Handwritten signature]



काट
विशेषाधिकार प्रमाणिका
(कर्मचारी अधिनियम)

आदेश आज दिनांक 03.02.2026 को खले न्यायालय में सुनाया गया।

वहन किया जायगा।

वैतनिकता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक/कम्पनी द्वारा प्रति भिजवाड़े जावे। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, टॉक को पर्याप्त पुलिस जाणा सुईया कराने हेतु निर्णय स्वयं आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वकत कानून व्यवस्था बनाये सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी संक्षम न्यायालय का पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्मलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह एस्टीमेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिविल प्रोपर्टी डिपार्टमेंट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों को रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिविल प्रोपर्टी डिपार्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ फाईनेसियल निर्णय प्रति तहसीलदार टॉक को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में उतारदारित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/कम्पनी को हाना।

है, यदि नियमों के अन्वयार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त 2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेशा दर्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कारण से कर्तव्य।

1. रहन श्रद्धा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्मलवाते वकत यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो सम्मलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :

पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहन श्रद्धा सम्पत्ति को प्रार्थी आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ नियमों के अन्वयार समस्त कार्यावाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्वयं प्रमाणित अधिकारी ने प्रार्थना पत्र के साथ इस आधार का शपथ पत्र पेश किया कि

in his opinion, be necessary.

cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may,

(1) the chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or (2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section